आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 26.06.2026 समय : 1905

- गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा – मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का प्रारूप जारी किया है।
- श्री विजयपुरम में उनतीस जून से तेरह जुलाई तक सर्किट कोर्ट का आयोजन किया जाएगा।
- अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्रशासित प्रदेश हज समिति ने हज–2027 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

<><><><><><><>

गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में नार्को–कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी एन.सी.ओ.आर.डी की दसवीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।

गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को एक महान साहित्यकार बताया, जिनकी रचनाओं ने पीढ़ियों से भारतीयों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना को जागृत किया है। इस वर्ष के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वंदे मातरम की एक सौ पचासवीं वर्षगांठ मना रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र को प्रेरणा के सबसे चिरस्थायी स्रोतों में से एक बना दिया।

गृह मंत्री अमित शाह ने भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रख्यात साहित्यकार और अग्रदूत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि अपनी अमर रचना आनंदमठ के माध्यम से बंकिम चंद्र ने मातृभूमि के प्रति आत्मसमर्पण, त्याग और राष्ट्र चेतना का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की रचना करके बंकिम चंद्र ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई शक्ति, प्रेरणा और एक आदर्शवादी आधार प्रदान किया।

<><><><><><><>

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का प्रारूप जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ, आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। जैविक दवाओं और रेडियोफार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60 प्रतिशत शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार, इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के 'मन की बात' कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का एक सौ पैंतीसवां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चौनलों, एआईआर न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ऑनएयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही, एआईआर न्यूज़, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चौनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा।

<><><><><><><>

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के न्यायिक मामलों की सुनवाई के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का सर्किट बेंच 29 जून से 13 जुलाई तक पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कलकत्ता

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुगतो मजूमदार और न्यायमूर्ति ओम नारायण राय सर्किट कोर्ट में मामलों की सुनवाई करेंगे।

<><><><><><><>

सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। छत्तीस पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब दो हजार पांच सौ रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026, 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में छत्तीस पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत पांच हजार रुपये होगी। साठ पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत तीन हजार पांच सौ रुपये होगी, और तत्काल श्रेणा के पासपोर्ट के लिए यह लागत छ हजार रुपये होगी। वर्तमान में छत्तीस पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत एक हजार पांच सौ रुपये और साठ पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत दो हजार रुपये है।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्रशासित प्रदेश हज समिति ने सभी पात्र और इच्छुक तीर्थयात्रियों से हज–2027 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 20 जुलाई मध्यरात्रि तक www.hajcommittee.gov.in या HAJ SUVIDHA मोबाइल ऐप के माध्यम से भरे जा सकते हैं। हज–2027 के दिशा–निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण निदेशालय स्थित अंडमान निकोबार द्वीपसमूह केंद्रशासित प्रदेश हज समिति के अध्यक्ष कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

<><><><><><><>

मत्स्य पालन विभाग केंद्रशासित प्रदेश योजना के तहत मछुआरों के लिए सब्सिडी कार्यक्रम 'मत्स्य पालन इनपुट की आपूर्ति – आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं' लागू कर रहा है। गैर–जनजातीय श्रेणी के लिए पचास प्रतिशत और जनजातीय श्रेणी के लिए पचहत्तर प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए आवेदक को द्वीपसमूह का मछुआरा या जनजाति, उनके पास पंजीकृत गैर–मोटरीकृत या मोटरीकृत मछली पकड़ने वाली नाव, साथ ही वर्तमान वर्ष सहित लगातार दो वर्षों का वैध मछली पकड़ने का लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए वर्ष 2026–27 के दौरान आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं खरीदने के इच्छुक नगरपालिका और जनजातीय क्षेत्रों के मछुआरों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन फॉर्म और विस्तृत

नियम व शर्तें मत्स्य पालन निदेशालय, क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालयों और नजदीकी मत्स्य उप–केंद्रों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन 30 जून तक मत्स्य क्षेत्रीय कार्यालय या उप–केंद्र में जमा किए जा सकते हैं।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिला, मनरेगा के तहत अनुबंध के आधार पर 11 महीने की अवधि के लिए ग्राम रोजगार सेवक के 4 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए है। चयनित उम्मीदवारों को 14 हजार रूपये का मानदेय दिया जाएगा। उम्मीदवार को 12वीं पास होना अनिवार्य है और उन्हें संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पद के लिए स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लिटिल अंडमान के स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन 14 जुलाई शाम 4 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ एसडीएम कार्यालय में जिला कार्यक्रम समन्वयक के पते पर जमा किए जा सकते हैं।

<><><><><><><>